फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर

राकेश वगै0 बनाम शंकरलाल वगै0

मुकदमा संख्या : 151 / 2024

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 09.10.2025 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थीगणों ने जवाब पेश नही किया। अतः जवाब बन्द किया जाता है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली से संबंधित मूल वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है तथा मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रार्थना पत्र मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 06.11.2024 को यथावत जारी रखना आवश्यक है। जिससे वादग्रस्त भूमि किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नही हो सके। प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 06.11.2024 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म करना उचित समझते है।<br>अतः पत्रावली में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 06.11.2024 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक ताफैसला कन्फर्म किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूति मूल वाद के साथ हमफिता हों। | |

Scanned with OKEN Scanner